भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: †1016
दिनांक 08 दिसम्बर 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मल्टीड्रग- प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टी.बी.)

†1016. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल राज्य में मल्टीड्रग-प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टी.बी.) के उपचार हेतु तीन महत्वपूर्ण दवाएं लिनेजोलिड, क्लोफाजिमाइन और साइक्लोसेरिन स्टॉक में उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल राज्य को ये एमडीआर-टी.बी. दवाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्रीय तपेदिक प्रभाग को उक्त सभी तपेदिक दवाओं की आपूर्ति करनी है और इसका राज्य स्तर पर तीन महीने का बफर स्टॉक होना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या गत एक वर्ष में राज्य में तपेदिक दवाओं की आपूर्ति बाधित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड) क्या केन्द्रीय तपेदिक प्रभाग कतिपय दवाओं की स्थानीय खरीद हेतु बिल्कुल अंतिम क्षणों में अनुमति जारी करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख) केरल राज्य में लाइनजोलिड, क्लोफाजिमिन और साइक्लोसेरिन का कोई स्टॉक समाप्त नहीं हुआ है। केरल राज्य में इन औषधियों के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है

आइटम का नाम	**मापन की इकाई**	**राज्य स्टॉक**
लाइनज़ोलिड 600 मिलीग्राम	टेबलेट	27,681
क्लोफाज़िमिन 100 मिलीग्राम	कैप्सूल	48,128
क्लोफाज़िमिन 50 मिलीग्राम	कैप्सूल	18,460
साइक्लोसईराइन 250 मिलीग्राम	कैप्सूल	1,00,979
(स्रोत: नि-क्षय औषधि 02 दिसंबर 2023 तक)		

(ग) राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर क्षयरोगरोधी औषधियों की आपूर्ति की जाती है और मानदंडों के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर 3 माह के बफर की आवश्यकता होती है और उप-जिला सुविधा स्तरों पर 2 माह के बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है।

(घ) और (ङ) पूरे वर्ष एनटीईपी के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर से केरल राज्य को क्षयरोग-रोधी औषधियों की नियमित आपुर्ति की जाती रही है। राज्यों को आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सीमित मात्रा में स्थानीय खरीद के लिए संसाधनों का प्रावधान किया गया है।

*****